किसानों के लिऐ कानून

कीटनाशक प्रबंधन बिल में ऐसी सभी असंगतियों का निवारण करना चाहिए जो राज्य सरकारों को बड़ी-बड़ी कीटनाशक कंपनियों को नियुक्त या बुक करने से रोकती हैं।

एक पुरानी अफ्रीकन कहावत है, 'जब तक ृोरों का इतिहास लिखने वाले अपने लोग नहीं होंगे, तब तक शिकार की कहानियों में हमेशा शिकारी का ही गुणगान किया जाएगा', यही कहावत विश्व के किसानों की दशा पर भी सही साबित होती है। किसान शिकार किऐ गऐ ृोरों के समान हैं जिनके पास उनका बलिदान, संघ-र्ा, हिम्मत और भय को बताने वाला अपना कोई नहीं है और शिकारियों के रूप में आज के व्यापारी, विद्यवान, किसानों के नेता, मीडिया घराने, राजनेता और अधिकारी हैं जो अपना गुणगान चाहते हैं और किसानों की दुर्दशा से अपना भवि-य संवारने में लगे हैं।

क्या आप भोपाल की एक फैक्ट्री में गैस लीक होने की त्रासदी को भूल गए हैं, जो कीटनाशक बनाती थी या ऐसी त्रासदी को भूल गए हैं जिनसे पंजाब में केंसर जैसी भयंकर बीमारी फैली थी, अभी हाल ही में कुछ सप्ताह पहले महारा-ट्र में 50 से अधिक किसानों की मौत कीटनाशक के उपयोग से हुई है और इसी घटना में 1,000 से अधिक किसान गंभीर बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। अफवाऐं फैली की जांच होगी और इस जांच में किसानों को ही दो-ी ठहराया गया कि उन्होंने कीटनाशकों का सही ढंग से उपयोग नहीं किया। किंतु क्या महारा-ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडवनीस उन लोगों को सजा देंगे जो वास्तव में इसके दो-ी हैं, लेकिन नहीं क्योंकि पुराना कीटनाशक अधिनियम 1968 के कारण वे भी उतने ही कुंठित हैं जितना कि आज मैं हूँ। संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा (यू.पी.ऐ.) की सत्ता के दौरान एक कीटनाशक प्रबंधन बिल 2008 तैयार किया गया था, जो कि संसद के गलियारों में ही गूंज कर रह गया।

किसानों द्वारा बड़ी संख्या में आत्महत्याएँ करना जारी है, इसका प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण यह है कि गैर ब्रांड, घटिया, नकली और समाप्त तिथी के बाद के कीटनाशकों की बिक्री की जा रही है और किसानों की आत्महत्याओं पर कोई धीमी आवाज में भी समाधान की बात नहीं करता है। कीटनाशकों के दुरूपयोग और इनके उपयोग के समय और मात्रा के कारण और मुर्गीपालन तथा डेरी उद्योग में ऐंटीबॉयोटिक के असमान उपयोग के कारण कई मानव बीमारियां, बड़ी मात्रा में किस्मों की हानि और पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो रहा है। फस्लों के बर्बाद होने की कीमत और कृ-ि उपकरणों के महंगा होने से किसानों को अधिक लागत चुकानी पड़ती है, जिसका मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं किया जाता।

वास्तविक लाभ कमाने वाली बड़ी-बड़ी कीटनाशक कंपनियां हैं (ब्रांड़ के मालिक और बिक्री करने वाले एजेंट) जो आम तौर पर उत्पादन का काम छोटे निर्माताओं से करवाती हैं। किंतु उन पर भी

मुकदमा या कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि केन्द्रीय कानून में यह निर्धारित किया गया है कि केवल निर्माताओं को ही सजा दी जाऐगी। कीटनाशकों की बिक्री के जब लाईसेंस जारी किए जाते हैं तो आवेदक को घो-णा करनी होती है कि वह 'एक जिम्मेवार व्यक्ति' को उल्लंघन करने के लिऐ जिम्मेवार ठहराएगा। ऐसा व्यक्ति आम तौर पर कम वेतन लेने वाला एक कर्मचारी होता है जो समय बीतने के साथ-साथ कहीं चला जाता है और उसे ढूँढना कठिन हो जाता है। इस कारण उसे मुकदमा चलाने के लिऐ नोटिस देना भी अति कठिन हो जाता है। इसलिए जिम्मेवार व्यक्तियों में फर्म के सबसे बड़े 5 वित्त लाभ लेने वाले होने चाहिऐं और राज्य में कुल बिक्री के प्रतिशत के अनुसार उनपर उतना ही दंड लगाना चाहिऐ। ऐसे दो-ी व्यक्ति को 10 व-र्ा की कड़ी जेल भी होनी चाहिऐ। यह भयानक अवश्य दिखता है। किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि जब बिहार में असली ृराब की बिक्री करने पर भी किसी व्यक्ति को 10 व-र्ा की जेल का प्रावधान है तो इसकी तुलना में नकली कीटनाशक बेचने वालों की सजा तो बहुत कम नजर आती है।

कीटनाशकों के अधिकतम नमूने परीक्षण में फैल नहीं होते क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़े अधिकारी गुप्त सहयोग देकर प्रक्रिया का पालन नहीं करते, बल्कि नमूना फैल होने का कारण देने के लिए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उस नमूने को बार-बार टेस्ट करना पड़ता है। इस बोझिल दस्तावेज प्रक्रिया के कारण दूसरे नमूने के परीक्षण की तिथी भी समाप्त हो जाती है और इस कारण यह प्रक्रिया अधुरी ही रह जाती है। यह कारण है कि अपराध सिद्ध नहीं हो पाता। पिछले 10 व-र्ों में पंजाब में केवल 40 कीटनाशक संबंधी दो-ी साबित हो पाए हैं। कृ-ि विभाग के लिए अनिवार्य ई-डाक्यूमेंटेशन (आई.टी. ऐक्ट, 2000 के अनुसार) से प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

वर्तमान में एक प्रमाणिक उल्लंघन होने पर कीटनाशक की बिक्री को रोकने का आदेश केवल एक मजिस्ट्रेट दे सकता है। सभी जानते हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया को सरलता के साथ कैसे लटकाया जा सकता है, इस कारण इन ृाक्तियों को एक कीटनाशक इंस्पेक्टर को देने की आवश्यकता है। मजिस्ट्रेट की न्यायिक प्रक्रिया केवल तब आरंभ होनी चाहिए जब सजा आरंभ होने के लिऐ मुकदमा ुरू हो। एक अधिकारी के हाथ में सख्त कानून देने से एक उद्योग को हानि या कठिनाई तो हो सकती है, किंतु यह भी सत्य है कि हम एक चोटिल व्यवस्था का तो सामना कर सकते हैं लेकिन अपने जीवन में अधिक जहर खाने से तो यह बेहतर होगा।

अन्य उद्योगों की भांति कीटनाशक उद्योग भी अधिक मात्रा में बिक्री करने पर रिटेलर को प्रोत्साहित और पुरस्कार देता है। किंतु कीटनाशकों की अधिक बिक्री से किसानों का तो सर्वनाश हो रहा है। महारा-ट्र में किसानों की मौत का एक कारण यह भी हो सकता है कि आयातित, बिना टेस्ट के कीटनाशक और गैर पंजीकृत तकनीक पद्धति का उपयोग किया गया। हम उद्योग के इस प्रस्ताव का भी विरोध करते हैं जिसमें उनकी मांग है कि केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला के कार्य करने की

अनुमति निजी प्रयोगशालाओं को दी जानी चाहिऐं। इसके स्थान पर केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण अर्थोटी को पुनर्गठित किया जाना चाहिए और इसकी कई ृाक्तियों को राज्यों को सौंप देना चाहिऐ।

केवल 2 साधारण अधिसूचनाएँ इस क्षेत्र में महापरिवर्तन ला सकती हैं। पहली, केन्द्र सरकार को समस्त कृ-ि उपकरणों की पैकिंग अनिवार्य कर देनी चाहिऐ जिनपर एक बॉरकोड छपा हो और उस पर उत्पाद की सूचना दी गई हो। यह बॉरकोड जी.एस.टी. के साथ लिंक होगा और ई-बिल के साथ भी। दूसरी, राज्यों को सभी कृ-ि उपकरणों की बिक्री करने वाले व्यापारियों, एजेंटों के लिऐ अनिवार्य कर देना चाहिऐ की वे सभी प्रकार की बिक्री का विवरण राज्य सरकार के सरवर पर रिकॉर्ड करे, जिससे यह पता चल सके कि फेक्ट्री से किसानों के खेतों तक कौन सा उपकरण या सामग्री कब पहुंची है। कानून को लागू करने में भी यह अति सहायक होगा।

कृ-ि उपकरणों और अन्य सामग्री की बिक्रीयों का एक डाटा बैंक बनाने से अत्यधिक लाभ पहुंच सकता है। आगामी उपकरण या मशीन चलाने की विधि खेतो पर सिखाए जाने से किसानों और कृ-ि क्षेत्र को अत्यधिक लाभ पहुंचेगा, इसके साथ-साथ अधिकारियों की पदोन्नति का मूल्यांकन करने और बेहतर ृाासन करने में सहायता मिलेगी। निचले स्तर से ड़िजिटाईजैशन प्रारंभ करने से व्यक्तिगत आंकड़े और कृ-ि विस्तार के आंकड़े एकत्रित करने से फसल की वास्तविक हानि की प्रतिपूर्ति की मात्रा और बीमा जैसे मामलों के समाधान करने में भी सरलता होगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इससे किसान शिकायत निवारण तंत्र को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किसी की जिम्मेवारी निर्धारित करने में सरलता होगी।

पंजाब में हमने 21 कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने की सिफारिश की थी किंतु वर्तमान अधिनियम में राज्य को अनुमति नहीं है कि वे अपने हित में ही कारवाई कर सके और अपने क्षेत्र में 60 दिनों से अधिक वह कीटनाशक की बिक्री पर रोक नहीं लगा सकती। एक संघीय ढ़ांचा भयानक होता है, इस कारण से कानून की सीमित पहुंच, इसका प्रयोग और व्याख्या के कारण ही केंसर जैसा रोग उत्पन्न हुआ है और अभी तक यह लोगों की जिंदगी को निगल रहा है।

क्या आगामी कीटनाशक प्रबंधन बिल 2017 ऐसी कई अनियमिताओं को दूर करेगा अथवा पहले जैसे की गई कई घो-णाओं की तरह यह केवल दिखावा ही होगा ? किसानों की आय दोगुनी करने की बड़ी-बड़ी घो-णाएँ अथवा कृ-ि क्षेत्र की हो रही दुर्गति के समाधान करना, केवल खेतों में या कृ-ि क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से अथवा वित्तीय प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी घो-णाएँ सत्ता के गलियारों में केवल वादों के नारों तक ही गूंज रही हैं।

दिनाँकः 5 दिसम्बर, 2017

प्रिय श्री जेतली जी,

भारत कृ-ाक समाज एक निर्दलिय किसानों की संस्था है, जो किसानों की समृद्धि पर ध्यान देने के लिऐ भारत में महत्वपूर्ण और अनिवार्य अवश्यकताओं की वकालत करती है।

कई दशकों से भारत में लगातार 'खाद्य नीति' का पालन किया है और बजट 2018-19 में काफी अवसर हैं कि अब इस नीति के बदले एक 'किसान नीति' तैयार की जाऐ। पिछले व-ाों की कई मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं और पूर्व बजट परामर्श के लिऐ हमारे सुझाव निम्न प्रकार से हैंः

1. मुद्रास्फीति को कम करने के लिऐ केंद्रीय सरकार के हस्तक्षेपों को समाप्त करने के लिऐ आबंटन प्रदान किया जाऐः

   क). उन सभी फसलों के लिऐ जिनके लिऐ केन्द्रीय सरकार मूल्य कम करने के लिऐ आर्थिक सहायता देती है, जैसे टमाटर, प्याज, आलू आदि के लिऐ एक न्यूनतम मूल्य नियित किया जाऐ। ऐसी जिन्सों के लिऐ केन्द्रीय सरकार को बाजार भाव और न्यूनतम मूल्य की दूरी को कम करने के लिऐ इसका खर्च उठाना चाहिऐ। विद्यमान में किसान और राज्य उन नीतियों का दंड भुगत रहे हैं जिन्हें उनके द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई और उन्हें इसकी हानि की भरपाई करनी पडती है।

   ख). पूरे देश में कृ-ि विस्तार का कार्य ठप हो चुका है। यह कार्य कृ-ि क्षेत्र को बदलने के लिऐ एक महत्वपूर्ण उपाय है। वर्तमान में कृ-ि तकनीक प्रौद्यगिकी प्रबंधन एजेन्सी के अन्तर्गत संसाधनों का अंश 60:40 के अनुपात में है, जिसमें केन्द्रीय सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत है। कृ-ि विस्तार के पुनरूद्धार के लिऐ इस अनुपात को बदलकर 90:10 किया जाऐ, जिसमें केन्द्रीय सरकार का अंश 90 हो।

   ग). विश्व बाजार के अनुकूल भारतीय किसानों को तैयार करने के लिऐ प्रधानमंत्री कृ-ि सिंचाई योजना, रा-ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बागवानी के समेकित विकास के कमीशन और कृ-ि मैकेनाईजैशन के उप-मिशन जैसे कार्यक्रमों की राशि दोगुनी की जाऐ और इस निधि के 60:40 अनुपात को बदलकर 90:10 किया जाऐ, इसमें केन्द्रीय सरकार अंशदान बढ़कर 90 प्रतिशत हो जाऐगा।

घ). रा-ट्रीय कृ-ि विकास योजना के लिऐ पिछले 3 व-ोंं से अधिक समय से निधि का आबंटन केवल रू. 25,000 करोड़ है, जिसमें केन्द्र और राज्यों का अंश 60:40 के अनुपात में है। इसे बदलकर 90:10 किया जाऐ और केन्द्रीय सरकार 90 प्रतिशत खर्च का वहन करे। इसके परिणामस्वरूप सरकार का अंशदान रू. 15,000 करोड़ से बढ़कर रू. 22,500 करोड़ हो जाऐगा। इसके अतिरिक्त राज्यों की अलग-अलग प्राथमिकताऐं होती हैं, अतः राज्यों को आधार भूत सुविधाओं के निर्माण के लिऐ 100 प्रतिशत निधि का उपयोग करने की छूट दी जाऐ।

ड़). मनरेगा के अंतर्गत किसी किसान के अपने खेत में ही कार्य करने के लिऐ वेतन का भुगतान, यहां भूमि के स्वामीत्व की सीमा 2 हेक्टेयर हो, वहां भी फसलों को लगाने की अनुमति दी जाऐ। कृ-ि क्षेत्र में विविधता लाने और किसानों का जीवन स्तर सुधारने के लिऐ इनमें सब्जियां उगाने की अनुमति दी जाऐ।

च). प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केन्द्रीय सरकार प्रीमियम का कुछ भुगतान ही करती है, जिसके लिऐ राज्यों को कई ात्रों का पालन करना पड़ता है। यह योजना असफल हो चुकी है। इसके लिऐ प्रत्येक राज्यों को अपनी फसल बीमा योजना बनाने का अधिकार दिया जाऐ और इसके बाद भी केन्द्रीय सरकार को जो प्रीमियम का अंश देना पडेगा, उसके परिणाम अच्छे होंगे।

छ). दीर्घकालिक कृ-ि आयात निर्यात नीति की अवश्यकता है और एकतरफा निर्णय लेने की प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। संघीय ढांचे के अर्थ में राज्यों की सहमति लिऐ बिना केन्द्र सरकार को कृ-ि उपजों के लिऐ अंतर्रा-ट्रीय व्यापार संधि नहीं करनी चाहिऐ। किसानों की संस्थाओं और नौकरशाहों के बीच व्यापारिक संधियों पर विचार करने के लिऐ नीधि क्षमता का प्रावधान करना होगा। अंतर्रा-ट्रीय कृ-ि नीतियों संबंधि विश्व विद्यालय पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाऐ और अंतर्रा-ट्रीय बाजारों और विश्ले-ाण के आंकडों को एक समय बद्ध तरीके से इकट्ठा करना चाहिऐ।

2. सातवें वेतन आयोग के पश्चात संगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों की आय और पारिश्रमिक पर्याप्त मात्रा में बढ़े हैं, जबकि किसानों की वास्तविक आय लगातार कम हुई है। 'आय सुरक्षा' प्रदान करने के लिऐ एक 'किसान आय कमीशन' स्थापित करने के लिऐ धन आबंटित किया जाऐ।

3. 15वें वित्त आयोग में कई मानदंडों पर राज्यों को राज्स्व प्रोत्साहन दिया जाऐगा। इन मानदंडों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पहलू ामिल किया जाना चाहिऐ, जैसे किसानों की आय और कृ-ि उत्पादकता।

4. मेक इन इंडिया कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्र के लिऐ भारतीय रूपये का अवमूल्यन लाभदायिक सिद्ध होगा।

5. जी.ऐस.टी. लगने के बाद कृ-ि उपकरणों की लागत बढ़ गई है, इस कारण इन पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता बहुत कम रह गई है। अतः आर्थिक सहायता बढ़ाई जाऐ ताकि ड्रिप सिंचाई जैसी चीजों के लिऐ जी.ऐस.टी. के प्रभाव को समाप्त किया जा सके।

6. कृ-ि क्षेत्र की निराशा का सबसे बढ़ा कारण योजनाओं का लगातार असफल होना और लिऐ गऐ निर्णय गलत साबित होना, जिन्हें देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसके लिऐ वास्तविक आंकडे उपलब्ध नहीं होते। प्रत्येक राज्य को इतनी राशि दी जाऐ तांकि वह एक डाटा बैंक बना सके और सरकारी कार्यों के परिणामों का रिकॉर्ड देख और रख सके। यह एक ब्लॉक चैन प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है। सुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने में विश्ले-ाण संबंधी आंकडे उपयोगी सिद्ध होंगे। एक 'रा-ट्र अनुकूल डाटाबैस' बनाने के लिऐ कई गुना राशि बढ़ाई जाऐ और इसे कम लागत पर सभी किसानों को उपलब्ध कराया जाऐ।

7. अगले कुछ व-ों में कृ-ि सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत भाग कृ-ि अनुसंधान एवम् विकास पर खर्च करने का लक्ष्य रखा जाऐ।

8. प्रत्येक व-र् रसायनिक खाद्य का खेतों में 10 प्रतिशत कम करने के लक्ष्यों को महत्व दिया जाऐ :

   क). घटिया और नकली उपकरणों की जांच की प्रयोगशलाऐं बनाने के लिऐ निधियां आबंटित की जाऐं।

   ख). इसके अतिरिक्त उन प्रयोगशालाओं के लिऐ भी पैसा दिया जाऐ जो आयातित ताजे और संसाधित आहारों की जांच कर सके।

   ग). आगामी संसद सत्र में 'कीटनाशक प्रबंधन बिल, 2018' प्रस्तुत किया जाऐ।

घ). फैक्ट्री से लेकर किसान तक पहुंचने वाले प्रत्येक कृ-ि उपकरण का पता लगाने और जांच करने के लिऐ एक सप्लाई चैन आईओटी को लागू करने के लिऐ पैसा आबंटित किया जाऐ।

ड़). उन्न्त फसल संरक्षण और पानी के कम उपयोग हेतु माईक्रोबायो तकनीक अपनाने के लिऐ निधियों का आबंटन किया जाऐ।

च). परंपरागत कृ-ि विकास योजना की निधि को कई गुणा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के अंतर्गत कृ-ि से संबंधित सभी क्षेत्रों में परंपरागत फस्लों की विविधिता के विशि-ट घटक को भी ृामिल किया जाऐ।

छ). कृ-ि में कौशल विकास के संबंध में रा-ट्रीय कौशल विकास परि-द् के कार्यक्रमों से वांछित परिणाम नहीं मिले, अतः इसे किसानों की संस्थाओं के सहयोग से दुबारा तैयार किया जाना चाहिऐ।

9. अपने स्वामित्व में भूमि के आकार या सीमा के होते हुऐ सभी संसाधनों का समान वितरण करना चाहिऐ जिसे 2 हेक्टेयर की कृ-ि भूमि के लिऐ गणना करनी चाहिऐ। ऐसा करने से प्रत्येक राज्य के प्रोत्साहन की कुल राशि कम नहीं होगी और किसान परिवार की महिला के बैंक खाते में सीधे भुगतान भेजा जाऐ।

10. उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित किया जाऐ, यूरिया के मूल्य बढ़ाऐ जाऐं और इसके साथ-साथ पीऐण्डके उर्वरक के मूल्य कम किऐ जाऐ तांकि सरकार अथवा किसानों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

11. किसानों की आय बढ़ाने के लिऐ 'कृ-ि वन उपजों' पर जोर दिया जाऐ।

12. पशुपालन क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाऐ। छोटे-छोटे पशुओं जैसे सुअर, बकरी, भेड़ और भैंसे का मांस तथा मुर्गीपालन, मछली और मधुमक्खी पालन जैसे छोटे कारोबार की आर्थिक सहायता में 3 गुना वृद्धि की जाऐ। मानव बिमारी के लिऐ पशुओं का स्वास्थ्य एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसीलिऐ पशु बिमारी निवारण हेतु निधियों का प्रावधान किया जाऐ। भूमिहीन और निर्धन किसानों के लिऐ छोटे-छोटे पशुओं के लिऐ 100 प्रतिशत बीमा राशि का भुगतान किया जाऐ।

13. बिजली उत्पादन के लिऐ प्रोत्साहन की सीमा लगाऐ बिना बॉयोगैस यूनिट के लिऐ अधिक राशि आबंटित की जाऐ।

14. कृ-ि प्रसंसाधन प्रोत्साहन केवल छोटे-छोटे उद्योगों तक ही सीमित रखा जाऐ, इसके लिऐ किसान उत्पादक संघों को प्रमुखता दी जाऐ। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की निधि केवल फूड पॉर्क बनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिऐ। यह पॉर्क कम उपयोगी साबित हुऐ हैं। 'मेगा फूड पॉर्क' नीति असफल हो गई है। भारत में उत्पादित आहार के मूल्य के आधार पर राजस्व प्रोत्साहन का पुनर्गठन करें, यह सुविधा मेगा फूड पॉर्कस के लिऐ दी जा रही है।

15. यह उचित समय है कि खाद्य प्रसंसाधन मंत्रालय को कृ-ि एवम् किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिला दिया जाऐ ताकि निवारक सह क्रिया तैयार की जा सके।

16. स्टॉर्टअप इंडिया अभियान के अंतर्गत दिऐ जाने वाले सभी प्रोत्साहनों को किसान उत्पादक संघों को भी दिया जाऐ और उन्हें कर छूट दी जाऐ और पूँजी एवम् आधारभूत संरचना तैयार की जाऐ।

17. भारतीय मौसम विभाग के लिऐ अधिक निधियां दी जाऐं जिससे मध्य-कालिक मौसम की समय पर भवि-यवाणी की जा सके।

18. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के आबंटन को बढ़ाया जाऐ ताकि प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया जा सके। अंतर मंत्रालय समन्वय में सुधार किऐ जाऐं।

19. घरेलू पौ-िटकता को बढ़ाने के लिऐ कृ-ि फॉर्म तैयार करने के लिऐ निधियां दी जाऐं।

20. पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाऐ की वे प्रत्येक गांव जिसमें फसल की गहनता 150 प्रतिशत से अधिक है वहां 2 हेक्टेयर बॉयोडाईवर्सिटी रिजर्व बनाते हुऐ जैव विविधता को बनाऐ रखा जा सके।

21. जब ृाहरी नवीकरण अथवा स्मॉर्टसिटी को पैसा दिया जाऐ, उनके लिऐ अनिवार्य किया जाऐ की वे जनसंख्या घन्तव के आधार पर आवासिय क्षेत्रों में किसानों की मॉर्केट के लिऐ स्थान उपलब्ध कराऐं। गांव में जीवनस्तर सुधारने के लिऐ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ृाहरी सुविधाओं

के प्रावधान पर ध्यान दिया जाऐ। स्मॉर्टसिटी की निधियों का उपयोग 4,000 स्मार्ट जनगणना नगर बनाने के कार्यक्रम हेतु किया जाऐ।

22. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 2 (बी) में संशोधन की ऐसी अधिसूचना को हटाया न जाऐ जिसमें 'कृ-ि ट्रैक्टर एक गैर-परिवहन वाहन है' निर्धारित है। यदि आवश्यकता हो तो ट्रैक्टर के लिऐ इसे परिवहन या गैर-परिवहन के वाहन के रूप में वर्गीकृत उस समय ही किया जाऐ जब वाहन का पंजीकरण कराया जाता है, जैसा कार इत्यादि के मामले में किया जाता है। यदि ट्रैक्टर का उपयोग कृ-ि कार्य के लिऐ नहीं है तो उसके लिऐ अलग कर भी लगाया जा सकता है।

23. कृ-ि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र / एक्क की स्थिति दयनीय है, किन्तु इन्हें निधियां न देने के स्थान पर यह महत्वपूर्ण होगा की इनकी निधि बढ़ाकर इनसे परिणाम प्राप्त करने का दायित्व नियत किया जाऐ, जिसकी समय-समय पर जांच की जानी चाहिऐ।

24. निराश कृ-ि मजदूर और छोटे किसान आत्महत्याऐं कर रहे हैं। इनके लिऐ निम्नलिखित आबंटन का प्रावधान किया जा सकता हैः

क) स्वास्थ्य की लागत ने किसानों को पंगु बना दिया है। निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण और प्रजातीगत इलाज करना एक मूल अधिकार के रूप में हो। भूमिहिन मजदूरों और कम जमीन वाले किसानों के परिवारों के लिऐ स्वास्थ्य बीमा की राशि का खर्च सरकार उठाऐ।

ख) जैसी शिक्षा की गुणवत्ता ाहरों में है वैसी गांव में नहीं। गांव के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के ाहरी विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। इस क्षेत्र पर विशे-ा ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार राज्यों को निधियां उपलब्ध कराती हैं कि वे देशी भा-ाा में सभी कक्षाओं के प्रत्येक अध्याय को अंग्रेजी भा-ाा में उपशी-ार्कों सहित छोटी विडियो बनाकर पढ़ाऐ।

25. सिंचाई :

क) 10 लाख जल संचयन रिजर्व के लिऐ निधियां।
ख) वर्तमान सिंचित क्षेत्रों के लिऐ नालियां उपलब्ध कराऐं। नऐ बाढ़ सिंचाई कार्यक्रमों के लिऐ धन न दें।

ग) जल का कम उपयोग करने के व्यय में वृद्धि करें और व-ार्ा आधारित क्षेत्रों पर विशे-ा ध्यान दें।

घ) सभी किसानों को भूमि की नमी मापने के यंत्र वितरित करने के लिऐ निधियां दी जाऐं।

26. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर डॉ. रमेश चंद समिति की रिपोर्ट लागू करें और उसी मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करें।

27. मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविन्द सुब्रमण्यिम द्वारा प्रस्तुत 'न्यूनतम समर्थन मूल्य और संबंधित नीतियों के माध्यम से दाल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन' पर रिपोर्ट को लागू किया जाऐ।

28. बाजार :

क) किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिऐ मूल्य कमी भुगतान तंत्र योजना को उन फसलों के लिऐ तत्काल लागू किया जाना चाहिऐ, जिनकी खरीद सुनिश्चित नहीं हो सकती।

ख) जहां-जहां केन्द्र सरकार हस्तक्षेप योजना की पूरी लागत का भुगतान करती है, जैसे बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य स्थायीकरण की योजना में फसलों की संख्या और राशि बढ़ाई जाऐ।

ग) खाद्य अनाज की मात्रा बढ़ाने और गरीब उपभोक्ताओं की पौ-टिकता हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख भाग में दालों और बाजरा को ाामिल किया जाऐ।

घ) कृ-ि बाजार यार्ड की संख्या बढ़ाने और वर्तमान कृ-ि मंडियों में आधाभूत सुविधा देने के लिऐ राशि बढ़ाई जाऐ।

ड़) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य को हर एक मंडी को ई-नेम से जोडने के लिऐ प्रोत्साहन देती है। प्रत्येक राज्य पर ई-नेम थोपने के स्थान पर राज्य को एक ईलैक्ट्रोनिक प्लैटफॉर्म बनाने की अनुमति दी जाऐ जो अन्य राज्यों के अंतर-संचालन के मूल मानदंडों को पूरा करती हो और उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता रहे।

29. क्रेडिट :

क) कृ-ि क्षेत्र के संकट को देखते हुऐ बहुत से राज्य कुछ चुने हुऐ कृ-ि ऋणों को माफ करते हैं। केन्द्र सरकार को पूरे देश के लिऐ एक कृ-ि ऋण राहत पैकेज की घो-णा करनी चाहिऐ, जिसके उपयोग में राज्यों सरकारों का भी उतना ही अंशदान होना चाहिए। इसमें से कम से कम पैकेज के 25 प्रतिशत का उपयोग किराऐ के किसानों, फसल बांटने वाले किसानों, आदिवासी किसानों और ऐसी महिला किसानों के लिऐ करना चाहिऐ जो संस्थागत ऋण लेने में असफल रहते हैं।

ख) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के आंकडों की जांच करने से पता चलता है कि उन्होंने किसानों की परिसंप्तियों के मूल्यों के आधार पर ऋण दिऐ, न की उनकी आर्थिक स्थिती को देखकर। बैंकों ने अपना लक्ष्य पूरा करने के लिऐ प्रत्येक किसान की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्येक व-र् बेची गई फसल के मूल्य से अधिक मात्रा में ऋण दे दिऐ। भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन एवम् विकास विभाग द्वारा किऐ गऐ इन-हाउस अध्ययन के अनुसार इस प्रकार के दिऐ ऋण की वसूली नहीं हो पाती। कृप्या ऐसी लापरवाहियों को हटाऐं और प्रभावित किसानों की प्रतिपूर्ति के लिऐ कुछ उपाय करें। सभी बैंकों द्वारा दिऐ गऐ कृ-ि ऋण की किसी सरकार एजेंसी से लेखा-परीक्षा कराऐं।

ग) 2 लाख तक ऋण लेने वाले किसानों की संख्या दोगुनी करें और उनसे केवल 1 प्रतिशत का ब्याज लिया जाऐ। ऐसे खातों को आधार से जोडें ताकि डुप्लीकेसी से बचा जा सके।

घ) किराऐ के किसानों और पट्टे के किसानों को भी सरकार बैंको से ऋण लेने की सुविधा को प्रमुखता दी जाऐ। भूमिहीन किसान ऋण योजना और नीति आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुऐ हमारा प्रस्ताव है कि एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाऐ ताकि बैंकों का विश्वास भूमिहीन किसानों और लाईसेंस वाले किसानों में भी बने और उन्हें भी ऋण की सुविधा मिल सके।

ड़) डेरी क्षेत्र और मुर्गीपालन क्षेत्र को छोड़कर पशुपालन क्षेत्र के लिऐ बहुत सीमित ऋण है। नबॉर्ड द्वारा छोटे-छोटे पशुओं के लिऐ आर्थिक सहायता अथवा ऋण की मात्रा 10 गुणा करनी चाहिऐ और केन्द्र सरकार को भूमिहीन और छोटे किसानों के ऋण पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

30. अंत में यह अतिमहत्वपूर्ण है कि कृ-ि क्षेत्र से बाहर अन्य क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाऐ ताकि कृ-ि भूमि पर दबाव को कम किया जा सके।

आदर सहित,

भवदीय,

(अजय वीर जाखड़)

श्री अरून जेतली,
माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001